© 2018 IJSRST | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X
International Journal of Scientific Research in Science and Technology

उग्रवादी आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता का प्रभाव

डॉ० लाल बाबू प्रसाद
एम.ए., पीएच.डी.
इतिहास, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली प्रायः सभी महिलाएँ (कुछ को छोड़कर) महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किये गये सत्याग्रह आंदोलन और रचनात्मक कार्यक्रम से प्रभावित थी। लेकिन, कुछ ऐसी भी महिलाएँ थीं, जो इससे अलग उग्रवादी या आतंकवादी संगठनों की सदस्या बन गई। लेकिन, वास्तव में यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष आंदोलन का दुखद पहलू है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली उग्रवादी महिलाएँ का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 1942 के भारत छोड़ों आंदोलन के बाद बंगाल की कुछ महिलाओं द्वारा हिंसक गतिविधियों एवं उग्रवादी आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन, उसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। भारतीय महिलाओं द्वारा हिंसक गतिविधियों और उग्रवादी कार्यक्रमों में जो भाग लिया गया और उसका भारतीय महिलाओं के सामाजिक एवं परम्परावादी भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका चित्रण प्रस्तुत किया जाय।

महिलाओं के संघर्ष का प्रारंभिक कालः–

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, विशेषकर उग्रवादी काल में उनकी भूमिका का विश्लेषण 1905 के बाद से किया जाता है। लेकिन, वास्तविकता इससे भिन्न है। 1757 के पलासी के युद्ध के बाद से ही समय–समय पर विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं द्वारा कम्पनी शासन के शोषण एवं उत्पीड़न के विरूद्ध किया। इस क्रम में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया जा सकता है। इस विद्रोह में भाग लेनेवाली दो महिलाएँ देवी चौधरानी और महारानी अस्विनी का नाम उल्लेखनीय है। इसी प्रकार कित्तर विद्रोह के क्रम में वीर रानी चेनम्मा का नाम लिया जा सकता है। छापामार युद्ध के क्रम में भीमाबाई का नाम नहीं छोड़ा

जा सकता है। इन महिलाओं द्वारा समय–समय पर कम्पनी शासन के विरूद्ध संघर्ष का समुचित संचालन किया गया।[1]

1857 ई. के सिपाही विद्रोह, जो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम भी कहा गया है, उसमें रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, बेगम जीनत महल, अवंतिकाबाई लोधी, महारानी उपस्विनी, नर्तकी अजीजन आदि के नाम को भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया।[2]

लेकिन ये समस्त संघर्ष सफल न हो सके। अंग्रेजों द्वारा इन संघर्षों को कुचल दिया गया। कहीं शस्त्र से तो कहीं कुटनीति से अंग्रेजों ने सफलता प्राप्त की। लेकिन, इस विद्रोह के फलस्वरूप कम्पनी के हाथों से शासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आया। भारतीय संदर्भ में कुछ नीतिगत परिवर्तन आये। लेकिन, भारतीयों का शोषण एवं उत्पीड़न पूर्ववत् कायम रहा। लेकिन, उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांस में भारत में समाज सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसने भारतीय सामाजिक संरचना में वर्तमान कुरीतियों को झकझोड़ दिया। नारी शिक्षा, नारियों के उत्थान, पर्दा प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध, बाल विवाह का विरोध, बहु विवाह का विरोध इस सुधार आंदोलन का लक्ष्य बना और बहुत हदतक ये समाज सुधारक इस दिशा में सफल हुए। इसके साथ ही देश में राष्ट्रीयता की भावना का भी जागरण हुआ। इन सबों का प्रभाव भारतीय महिलाओं पर पड़ा और राष्ट्र को गुलामी की दास्ता से मुक्त कराने के लिए वे व्यग्र होने लगी। स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का आविष्कार आंदोलन पहले ही लोकप्रियता प्राप्त कर चुका था। महिलाओं, द्वारा विशेषकर बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया गया।[3]

क्रांतिकारी आंदोलन, विशेषकर इसमें महिलाओं के योगदान का इतिहास मार्ले–मिन्टो एक्ट के बाद में मिलता है। इस काल में भी काजी कामा का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। लेकिन, यत्र–तत्र अन्य महिलाओं द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों में सहयोग कर रही थीं। लेकिन, उनका क्रमबद्ध ऐतिहासिक विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

बंग विभाजन एवं महिलाओं द्वारा उग्रवादी गतिविधियों का संचालनः–

लार्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय के विरूद्ध संग्राम में अनेकों गुप्त आतंकवादियों का राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान नहीं माना जा सकता था।, लेकिन, उनके अस्तित्व एवं गतिविधियों के कारण ब्रिटिश प्रशासन को तथा नरमपंथियों को संतुष्ट और शांत करने के लिए वार्ता प्रारंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार के उग्रवादी संगठनों की वास्तविक संख्या तो ज्ञात नहीं है। लेकिन एक काल विशेष में इनकी संख्या लगभग तीन हजार मानी गयी है।[4] इसी प्रकार इन संगठनों में कार्यरत महिलाओं की संख्या का भी उल्लेख उपलब्ध नहीं है। लेकिन, उनके संदर्भ में सामान्यतः यह माना गया है कि असहयोग आंदोलन का सामान्य प्रतिमान इन उग्रवादियों के संगठन में था।[5] इससे यह स्पष्ट है कि 1920 के असहयोग आंदोलन में उनकी संख्या अत्यधिक सीमित थी। लेकिन, 1930 वाली दशक में उनकी संख्या में महत्वपूर्ण ढ़ंग से वृद्धि हुई। प्रारंभ में ब्रिटिश प्रशासन इन महिलाओं के विरूद्ध कार्यवाही करने में हिकिचाहट महसूस करती रही। लेकिन, इन सत्याग्रहियों और उग्रवादियों की गतिविधियों में अचानक वृद्धि के बाद सरकार की इस नीति में अचानक परिवर्तन आ गया।[6] उनकी गतिविधियों का उल्लेख इन महिला उग्रवादियों के संस्मरण से स्पष्ट होता है। ऐसी उग्रवादियों में कल्पना दत्त, कल्याणी भट्टाचार्य, कमला दास गुप्त आदि के संस्मरण उल्लेखनीय है।[7] ललिता घोष जिन्होंने आक्सफोर्ड से स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की थी और जो अरविन्द घोष की भतीजी थी, ने लगभग सौ सदस्यों की एक महिला संगठन का गठन चटगाँव में किया था और इसका घनिष्ट संबंध पूर्वी बंगाल के विभिन्न उग्रवादी समितियों एवं संगठनों के साथ था।

गुप्त उग्रवादी संगठनों की भर्ती स्पोर्टस क्लब, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए व्यायामशाला या शिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए अन्य संस्थाओं और संगठनों में से किया जाता था। भारत सरकार द्वारा गठित सीडिसन कमिटी के द्वारा 1918 ई. में समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया था कि आतंकवादी समूहों के अधिकांश सदस्य सामान्यतः 16 से 30 वर्ष की आयु सीमा के भीतर के छात्र समुदाय से संबंधित लोग थे।[8] कल्पना दत्त विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के लिए कलकत्ता आयी थी और जिस समय वह उग्रवादी संगठन में सम्मिलित होकर चटगाँव आरमरी रेड में सम्मिलित हुई उसकी आयु मात्र 18 वर्षों की थी।

उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। जिसे बाद में रवीन्द्र नाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद मुक्त कर दिया गया था।[9] वीणा दास ने 1892 ई. में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उसने बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्शन की जिस समय हत्या का प्रयास किया था, उसकी आयु मात्र 21 वर्षों की थी।[10] कमला दास गुप्ता ने जिस समय कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट और गवर्नर स्टेनली जैक्शन की हत्या का प्रयास किया था उस समय स्नातक कक्षा की छात्रा और छात्रावास की वार्डेन थी।[11] प्रीतिलता वाडेकर द्वारा जब यूरोपिय क्लब पर बम द्वारा हमला की गई थी, उस समय उसकी आयु मात्र 21 वर्षों की थी।[12] शांति घोष और सुनीति चौधरी द्वारा कौमिला के गवर्नर की हत्या की गई थी वे नवम् वर्ग की छात्रा थीं और उनकी आयु 15 वर्षों की थीं। वे दोनों छात्राएँ गवर्नर को तैराकी प्रतियोगिता के समारोह की अध्यक्षता करने के बहाने गवर्नर के कार्यालय में दाखिल हुई। शांति जिस समय गवर्नर से बात–चीत कर रही थी, सुनीति ने साड़ी में छुपाये गये तमच्चा को इतमिनान से बाहर निकाला और गवर्नर को गोली मार दी।[13]

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इन गुप्त और आतंकवादी संगठनों द्वारा महात्मा गांधी की तरह कोई संगठित प्रयास महिलाओं का समर्थन प्राप्ति के लिए नहीं किया गया वास्तविकता तो यह है कि ये संगठन महिलाओं की प्रारंभिक दौर में अपने संगठनों से सम्बद्ध नहीं करना चाहती थी।[14] लेकिन, एक बार जब महिलाएँ इन संगठनों के साथ जुड़ गई तो ये उग्रवादी उनकी सहयोगी के रूप में या अग्रणी सदस्या के रूप में उनको प्राप्त होने वाले लाभ से अवगत हो गए। महिलाओं की उपस्थिति के बाद संदेहास्पद सदस्यों को पत्नी के रूप में पुलिस प्रशासन को धोखा देना उनके लिए काफी सुगम हो गया। सरदार भगत सिंह को निर्धारित स्थान तक पहुँचाने में यह प्रयास काफी सफल रहा। बुर्गा भाभी ने एक बच्चे के साथ सरदार भगत सिंह की पत्नी के रूप में आसानी से एक बच्चे के साथ गंतव्य स्थान तक सरदार भगत सिंह को पहुँचाने में सफल हुई थीं।[15] एक महिला पर पुलिस की सामान्यतः शंका नहीं होती थी और उसका पुलिस की नजर से निकल जाना काफी सुगम होता था।

लेकिन, एक बार जब उन्हें उग्रवादी संगठन की सदस्यता दे दी जाती थी तो महिलाओं को भी पुरूषों के समान ही प्रशिक्षित किया जाता था। महिला होने के कारण न तो उन्हें कोई

विशेष छूट दी जाती थी और न ही महिला होने के कारण उन पर विरोध बल दिया जाता था। महात्मा गांधी ने जिस प्रकार महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था आश्रम में की थी, यह बात इन उग्रवादी संगठनों में देखने को नहीं मिलता था। क्रांति के प्रति निष्ठा इन महिलाओं का एक मात्र दिशा–निर्देशक सिद्धांत होता था। लार्ड जैटलैंड ने उग्रवादी संगठनों में भर्ती के मनोविज्ञान का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण उपस्थित किया है। भर्ती किए जाने वाले उग्रवादियों को इस बात पर विचार करने को कहा जाता था कि वे मानव प्रकृति या स्वभाव पर विचार करें। उनका अस्तित्व और उसके लक्ष्य को निर्धारित करें और वे इस धरती पर क्यों जीवित हैं उसे विचारें और इस विश्व और समाज के प्रति उनका क्या कर्तव्य है उसे जान लें। इन सामान्य विचारों पर गंभीरता से विचार करने के बाद उन्हें मातृभूमि के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, उस पर विचार करने को कहा जाता था। भारत के अतीत, वर्तमान एवं भविष्य का चित्र उनके समक्ष उपस्थित किया जाता था जिसमें राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति की प्रधानता होती थी। भारत का भविष्य ही उनके समक्ष लक्ष्य के रूप में उपस्थापित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें प्रयास करना है।

इन संगठनों के सदस्यों को इस बात से भी अवगत करा दिया जाता था कि उनकी राष्ट्रभक्ति का परिणाम उनके और उनके परिवार के लिए क्या–क्या हो सकता है? व्यक्तिगत तौर पर इसका परिणाम मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता है। उनके परिवार को सरकारी पदाधिकारियों या पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार की यातनाएँ दी जा सकती है। उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी से हाथ धोना पर सकता है और मित्रों और संबंधियों से संबंध टूट सकता है। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न था उन्हें उग्रवादी संगठनों की सदस्यता प्रदान करना अथवा उसके नेतृत्व का उन्हें दायित्व देना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनका अपने परिवार के साथ गहरा लगाव होता है। उनमें प्रायः दिव्यनिष्ठता का अभाव होता है और वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से अत्यधिक भावुक होती हैं। अतः इस संदर्भ में उनके साथ उत्पन्न होने वाले कठिनाईयों के संदर्भ में उन्हें पर्याप्त जानकारी प्रदान कर दी जाती थी। इन बातों को ध्यान में रखकर प्रारंभ में आतंकवादी संगठनों द्वारा किसी प्रत्यक्ष कार्यवाही में उनकी सहभागिता कम से कम रखी जाती थी। लेकिन, महिलाओं के द्वारा अपने नेतृत्व को

जोखिम भरे दायित्वों में भाग लेने के अवसर प्रदान कर बल दिया गया। सरकारी पदाधिकारियों की हत्याओं में जिन उग्रवादी महिलाओं ने जैसे वीणा दास, कल्पना दत्त, कमला दास आदि ने भाग लिया स्वयं इस प्रकार के कठिन दायित्वों के निर्वाह के नियमों का उल्लेख किया है। उनके द्वारा उग्रवादी आंदोलन में भाग लेने के बाद उनके परिवारों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी, और उन्हें अपने समाज एवं जाति से बहिष्कृत कर दिया। उन्हें अफसोस था कि उनके परिवारों को इस प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। लेकिन उनकी दृष्टि में राष्ट्र हित में इस प्रकार का त्याग आवश्यक था।

उग्रवादियों के नेतृत्व के लिए किए गए प्रचारों में परम्परागत एवं धार्मिक प्रतीकों का भरमार था। इनके द्वारा आक्रमण, हिंसा और विनाश को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए देवी–देवताओं का उदाहरण उपस्थापित किया जाता था। बंगाल में उग्रवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। शक्ति एवं काली की पूजा और उपासना का पूर्ण समर्थन अरविन्द घोष एवं स्वामी विवेकानन्द द्वारा पूरे उत्साह के साथ किया गया था। शक्ति बल का प्रतीक था। शक्ति सभी प्रकार की सृजनात्मक या संहारात्मक बल का स्रोत थी। अरविन्द घोष ने अपनी छोटी पुस्तिका भवानी मंदिर में स्पष्ट किया था कि वर्तमान समय में माँ शक्ति की, जननी की अभिव्यक्ति है। वह पूर्ण शक्ति है।

अरविन्द घोष ने अपने उपदेशों में काली को शांति की अधिष्ठात्री और राक्षसों के विनाश करने वाली शक्ति के रूप में उपस्थित किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों को स्पष्ट किया था कि –

''ईश्वर के काली का सृजन विनाश करने वाली देवी के रूप में किया है, जो शक्ति की माँ है। उनका सृजन देवताओं ने उन असुरों के संहार के लिए किया, जिन्होंने उनके राज्य पर अनाधिकार पूर्वक कब्जा कर लिया था। बहुत सारे हाथों से युक्त काली, जिनके हाथ रक्त रंजित है, ये पाशविकता के नहीं बल्कि यान का प्रतीक है। जिस प्रकार काली ने असुरों को भगा दिया, उसी प्रकार भद्र लोग जिन्हें काली की उपासना से शक्ति प्राप्त हुई, उन्हें अंग्रेजों को भगा देना चाहिए।''

संदर्भ सूची :–

1. आशारानी व्होरा, महिलाएँ और स्वराज्य, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, 1988, पृ. 8।
2. वही, पृ. 38।
3. वही, पृ. 109–111।
4. डेविड लावसी, द बंगाल टेरोरिस्टस एंड देयर कन्सर्न टू मार्क्सिजम' आसपेक्ट्स ऑफ रीजनल नेशनलिज्म इन इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, 1985, पृ. 235।
5. व्ही, पृ. 141–143।
6. क्मला दत्त, रीमीन्शेसेज' चटगाँव आरमरी रेडर्स, पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1945।
7. लवसी, पूर्वोद्धत, पृ. 142।
8. लिथोनार्ड गोर्डन, बंगालः द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1876–1940, यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1974, पृ. 145।
9. सत्यकेतु घोष, वीमेन टेरोरिस्ट ऑफ इंडिया, पृ. 34–38।
10. विजय एग्नथ, इलीट वीमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1979, पृ. 63।
11. वही, पृ. 63–64।
12. वही, पृ. 64।
13. वही, पृ. 37।
14. विजय कुमार सिन्हा, हीरोदन्स ऑफ इंडियन रीभोल्यूशनरी मूवमेंट, पैट्रिओट सप्लीमेंट, 15 अगस्त, 1972।
15. वही।

♦♦♦♦♦